भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 437/6/घोषणापत्र/2015/सीसी/628-698 दिनांक : 24 अप्रैल, 2015

सेवा में,

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों
के अध्यक्ष/महासचिव/चैयरपर्सन/संयोजक।
(सूची संलग्न)

विषय : **आदर्श आचार संहिता - घोषणापत्रों पर दिशा-निर्देश-अनुदेश-तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

जैसाकि आप जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर आयोग ने, आपके साथ विचार-विमर्श करने के बाद, निर्वाचन घोषणापत्रों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए थे और उन्हें ''राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता'' में सम्मिलित कर दिया गया था। आपके सुलभ संदर्भ के लिए उक्त दिशा-निर्देशों की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

2. आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की है कि जब कभी भी कोई राजनैतिक दल आयोग द्वारा संचालित किसी भी निर्वाचन के लिए अपना घोषणापत्र जारी करता है तो सॉफ्ट प्रति सहित उसकी एक (हार्ड) प्रति आयोग को इसके रिकार्ड के लिए भेजी जाए। ऐसा इसके पश्चात आयोजित किए जाने वाले निर्वाचनों में किया जाए।

3. मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने दल के पदाधिकारियों को इस संबंध में उचित निदेश दें।

भवदीय,

(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव

VIII निर्वाचन घोषणापत्रों पर दिशा-निर्देश

1. उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2008 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 21455 (एस सुब्रमणियम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य) में अपने दिनांक 05 जुलाई, 2013 के निर्णय में निर्वाचन आयोग को अन्य सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के परामर्श से निर्वाचन घोषणापत्रों की विषय-वस्तु के संबंध में दिशा-निर्देशों को विरचित करने के निदेश दिए हैं। इस निर्णय से वे मार्गदर्शी सिद्धांत जिनके आधार पर ऐसे दिशा-निर्देश विरचित किए जाने हैं, नीचे उद्धृत किए गए हैं :-

(i) "यद्यपि, यह विधि स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अधीन निर्वाचन घोषणापत्र में किए गए वायदों को 'भ्रष्ट आचारण' नहीं माना जा सकता, किन्तु फिर भी इस वास्तविकता से इंकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहार , निस्संदेह लोगों को प्रभावित करते हैं। यह बहुत बड़े पैमाने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की जड़ें हिला देता है"।

(ii) "निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले दलों और अभ्यर्थियों को एक समान अवसर सुनिश्चित कराने और यह देखने के लिए कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता दूषित न होने पाए, निर्वाचन आयोग पहले से ही आदर्श आचार संहिता के अधीन अनुदेश जारी करता रहा है। जिन शक्तियों के अधीन आयोग ऐसे आदेश जारी करता है उनका मूल स्त्रोत संविधान का अनुच्छेद 324 है जो आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन का अधिदेश देता है"।

(iii) "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि सामान्यत:, राजनैतिक दल निर्वाचन की तिथि की घोषणा से पहले अपना निर्वाचन घोषणापत्र जारी करते हैं, ईमानदारी से, उस परिदृश्य में, निर्वाचन आयोग के पास ऐसा कोई अधिकारी नहीं होता कि वह निर्वाचनों की तिथि की घोषणा से पहले किए गए किसी कृत्य का विनियमन करे। तथापि, इस संबंध में अपवाद बनाया जा सकता है क्योंकि निर्वाचन घोषणापत्र का प्रयोजन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है"।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय से उपर्युक्त निदेश प्राप्त करने पर निर्वाचन आयोग ने इस मामले में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों के परामर्श के लिए उनके साथ एक बैठक की और इस मामले में उनके परस्पर-विरोधी विचारों को नोट किया।

विचार-विमर्श के दौरान जबकि कुछ राजनैतिक दल ऐसे दिशा-निर्देशों को जारी करने के पक्ष में थे, और कुछ का विचार था कि स्वस्थ लोकतांत्रिक राजनीति में घोषणापत्रों में मतदाताओं के प्रति ऐसे वायदे करना और इस प्रकार के प्रस्ताव रखना उनका अधिकार और कर्तव्य है। जबकि, आयोग इस दृष्टिकोण से सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि घोषणापत्र तैयार करना राजनैतिक दलों का अधिकार है, परंतु आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन और सभी राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के लिए एक समान अवसरों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कुछेक वायदों और प्रस्तावों के प्रभाव को अनदेखा नहीं कर सकता है।

3. संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों के संचालन का अधिदेश देता है। उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के प्रति उचित सम्मान रखते हुए और राजनैतिक दलों से परामर्श करने के पश्चात आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में एतद्द्वारा निदेश देता है कि संसद या राज्य विधान मंडलों के किसी निर्वाचन के लिए निर्वाचन घोषणापत्रों को जारी करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे :-

(i) निर्वाचन घोषणापत्र में ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि संविधान में प्रतिष्ठापित आदर्शों और सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा और इसके अतिरिक्त, यह आदर्श आचार संहिता के अन्य उपबंधों के अक्षरश: अनुरूप होगा।

(ii) संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत, राज्य को नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को विरचित करने का आदेश देते हैं और इसलिए निर्वाचन घोषणापत्रों में ऐसे कल्याणकारी उपायों के वायदों पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। हालांकि, राजनैतिक दलों को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जिनसे निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करने की संभावना हो, या जो मतदाताओं पर उनके मताधिकार का प्रयोग करने में कोई अनुचित प्रभाव डालते हों।

(iii) पारदर्शिता, एक समान अवसर उपलबध कराने तथा वायदों की विश्वसनीयता के हित में, यह आशा की जाती है कि घोषणापत्रों में वायदों हेतु कोई तर्काधार भी होना चाहिए और इसके लिए वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए साधनों को व्यापक रूप से इंगित करना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास केवल उन्हीं वायदों पर मांगा जाना चाहिए जो कि पूरे किए जाने संभव हों।